



Email:- pjnpairidn@gmail.com

कार्यालय फ़ैक्स नं०-01368-222246

फ़ोन नं०-01368-222246

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
निकट लक्ष्मी नारायण मन्दिर, कोटद्वार रोड, पौड़ी (पौड़ी गढ़वाल)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पत्रांक 2368 / विधि-05 / 38

दिनांक 16-09-2016

// नीलामी सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 06.10.2016 को अपराह्न 3.00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी में पड़ी निम्न निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी सम्पन्न की जायेगी।

क्र० सं०	सामग्री का विवरण	सामग्री का भण्डारण स्थल	नीलामी में प्रतिभाग हेतु वांछित धरोहर राशि (रु०)
1	2	3	4
	निष्प्रयोज्य सामग्री	अधिकारी आवासीय कॉलोनी, निकट टी०वी० टावर, तहसील रोड, पौड़ी परिसर	
1	यू०पी०-०६-०२९९ (जिप्सी)		2000.00
2	यू०पी०-०६-०७३१ (जिप्सी)		600.00
3	यू०टी०एस०-२१७० (मोटर साइकिल)		150.00
4	एल०एम०वी० यजदी (D-250- Classic)		110.00

नीलामी से पूर्व में प्रत्येक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका के कॉलम सं०-०४ में अंकित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी के नाम देय हो, जमा कराना होगा। नीलामी से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

(मिशा सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि उपरोक्त नीलामी की नियम व शर्तों की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, यान्त्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (मु०) प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचनाको विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (स्टोर)।
6. मण्डलीय लेखाकार/नोटिस बोर्ड
7. मै० जहूर अहमद एण्ड संस, सरकारी नीलामी कर्ता, 14, नया नगर, गांधी रोड, देहरादून।


संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

16/9/16
अधिशासी अभियन्ता

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"
वैधानिक चेतावनी-जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें

- 1- इस कार्यालय के अधिकारी आवासीय कॉलोनी, निकट टी0वी0 टावर, तहसील रोड़, पौड़ी, परिसर में रखी गयी निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी "जहां है, जैसी है" की स्थिति में दिनांक 06.10.2016 को अपराहन 3.00 बजे सम्पन्न की जायेगी।
- 2- नीलामी सूचना के अनुरूप वांछित धनराशि जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी के नाम देय/बन्धक हो, नीलामी में भाग लेने से पूर्व जमा करवाना होगा। धरोहर धनराशि मात्र बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही मान्य होगी। उक्त धरोहर धनराशि जमा कराये बिना नीलामी में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।
- 3- (अ) विभाग द्वारा न्यूनतम नीलामी मूल्य के ऊपर ही नीलामी स्वीकार की जायेगी।
(ब) नीलामी के पश्चात उच्चतम/सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण बोलीराशि कार्यालय में नगद जमा करानी होगी।
(स) उच्चतम व सफल बोलीदाता को वणिज्य कर नियमानुसार देय ड्यूटीज व करों (taxes) आदि की राशि बोली राशि के अतिरिक्त जमा कराना होगा।
- 4- नीलामी उपरान्त समक्ष स्तर से नीलामी की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सामग्री के उठान की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- 5- सक्षम स्तर से नीलामी की स्वीकृति प्राप्त न होने अथवा अन्य किसी कारण से नीलामी निरस्त होने की स्थिति में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 6- बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
- 7- निष्प्रयोजित सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यालय दिवस में अधिकारी आवासीय कॉलोनी, निकट टी0वी0 टावर, तहसील रोड़, पौड़ी, परिसर में किया जा सकता है। नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाता से अनुरोध है कि नीलामी से पूर्व सामग्री का पूर्ण निरीक्षण कर ले, इस सम्बन्ध नीलामी उपरान्त कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 8- नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्तें यदि होंगी तो नीलामी से पूर्व बता दी जायेगी।


16/10/16
अधिशासी अभियन्ता